जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण सं0 10/2015 अनवानी सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर बनाम 1–मायादेवी पत्नि राजंबंस जाति अरोड़ा निवासी 162जी ब्लाक श्रीगंगानगर 2–अशोक कुमार 3–गुरचरणकौर 4–गुरनामसिंह 5–राजेन्द्रसिंह

14.02.2017

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अभिभाषक श्री जसकरण सिंह ओलख उपस्थित है। अप्रार्थीगण के अभिभाषक श्री सुभाष मिढा उपस्थित है। दोनो पक्षो के अभिभाषकगण के मोखिक निवेदन पर बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थी के अभिभाषक श्री जसकरनसिंह ओलख का कथन है कि पूर्व में एक वादपत्र सं0 77/2006 अनवानी मायादेवी बनाम सचिव नगर विकास न्यास धारा 88, 188 आरटीए का उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के न्यायालय में लंबित था जिसमें प्रार्थीगण द्वारा न्याय न मिलने की संभावना को लेकर उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के न्यायालय में स्थानान्तरित करवाया जो वर्तमान में उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के न्यायालय में लंबित है जिसके लिये हस्तगत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र पेश किया हुआ है। चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है और इस वादपत्र में मूल क्षेत्राधिकार उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर को था इसलिए उक्त प्रकरण को उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के न्यायालय से वापिस उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के न्यायालय में मुन्तकिल कर दिया जावे तो उचित होगा।

अप्रार्थीगण के अभिभाषक श्री सुभाष मिढा का कथन है कि अगर उक्त प्रकरण को उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में मुन्तकिल किया जाता है तो उन्हे भी कोई आपति नही है।

मैने दोनो पक्षो के अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली व उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के प्रतिवेदन दिनांक 31.03.2015 का अवलोकन किया तो पाया कि उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के न्यायालय में लंबित वाद सं0 77/2006 मायादेवी आदि बनाम सचिव नगर विकास न्यास श्रीगंगानगर को पूर्व में उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर से न्याय मिलने के आधार पर उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के न्यायालय में मुन्तकिल किया गया था चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर का स्थानान्तरण अन्यत्र हो गया है और उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ को व वाद के दोनो पक्षो को उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के न्यायालय में उक्त वाद को मुन्तकिल करने में कोई आपति नही है। इसलिए उक्त वाद का मूल क्षेत्राधिकार उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर का होने के कारण वापिस उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर को मुन्तकिल किया जाना उचित है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ के न्यायालय में लंबित वाद सं0 177/2006 मायादेवी आदि बनाम सचिव नगर विकास न्यास श्रीगंगानगर को उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के न्यायालय में सुनवाई एवं निस्तारण के लिए मुन्तकिल किये जाने का आदेश दिया जाता है। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ उक्त पत्रावली को उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर शीघ्र भिजवावे। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ व श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। यह पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 14.02.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञाना

(ज्ञाना राम)

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर